सत्यमेव जयते

# राजस्थान सरकार

# महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान

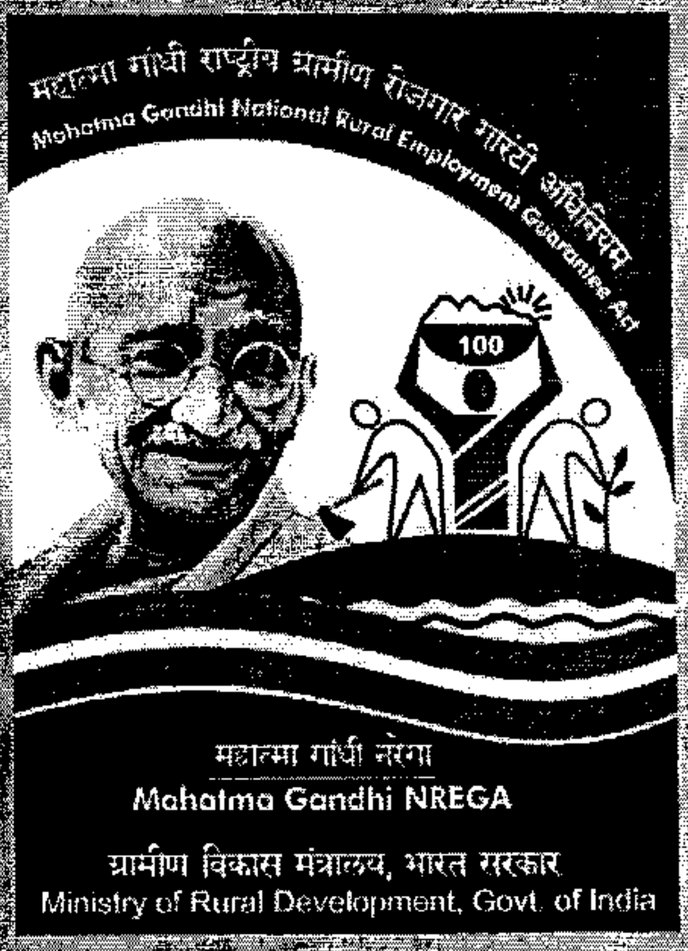


# "महात्मा गाँधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका"

(यथाविद्यमान-30.11.2011)

## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, पेड़ लगाओ

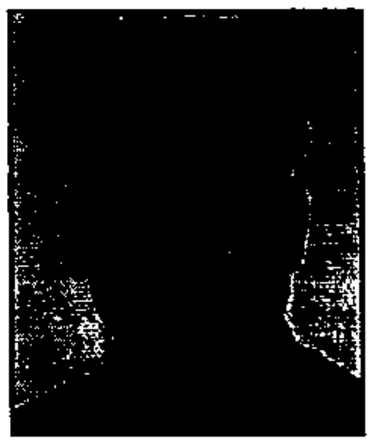

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

# संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका विषय पर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्र के विकास में गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मान्यता प्रदान की गई है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 में नरेगा कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी प्रतिष्ठित स्थापित साख एवं कार्य क्षमता वाले (Reputed NGO of proven track record and performance) गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों का चयन कर इन्हें राज्य में नरेगा कार्यों में कार्यकारी एजेन्सी बनाने के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की सक्रिय भूमिका का मार्ग प्रशस्त होगा तथा राज्य के ग्रामीण विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

आशा है गैर सरकारी संगठन क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए नरेगा कार्यो के क्रियान्वयन में ईमानदारी एवं निष्ठा से काम करेंगे तथा अपनी बेहतर भूमिका निभाने में सफल होंगे।

मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका पर इस पुस्तक के प्रकाशन की 'सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते


महेन्द्रजीत सिंह मालवीया
मंत्री
ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग
राजस्थान सरकार


# संदेश

गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग देश के विकास में आवश्यक है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 में नरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है। अतः नरेगा कानून के अंतर्गत राज्य में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन में भागीदार बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा इन दिशा-निर्देशों का 'महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका' के नाम से पुस्तक का प्रकाशन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गैर सरकारी संगठनों की नरेगा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित कार्यों को गति मिलेगी एवं भूमि उत्पादकता में वृद्धि होगी और ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी रोजगार से स्थायी रोजगार की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की नरेगा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में भागीदारी बढ़ेगी एवं नरेगा में जन भागीदारी को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित,

(महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

सी.एस. राजन
आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग
राजस्थान सरकार

# संदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने की वैधानिक न्यूनतम अनिवार्यता है। अन्य क्रियान्वयन निकायों में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को तीव्रता से लाभ पहुंचे, इसके लिए राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से योग्य गैर सरकारी संगठनों को भी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेन्सी बनाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा इन दिशा-निर्देशों का ''महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका'' के नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है।

आशा है कि इन दिशा-निर्देशों से प्रतिष्ठित, अच्छे कार्य प्रदर्शन करने वाले गैर सरकारी संगठनों की नरेगा के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। जल संरक्षण, जल संचय, वन, वृक्षारोपण, बागवानी आदि के कार्यों को बल मिलेगा। इससे कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण परिवारों की कमाई में वृद्धि होगी और स्थायी जीविका परिसम्पत्तियों का विकास होगा।

शुभकामनाओं सहित,

शुभेच्छु

(सी.एस.राजन)

तन्मय कुमार
आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस
राजस्थान सरकार

# संदेश

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत को एक प्रधान निकाय बनाया गया है। पंचायतों के अतिरिक्त सरकारी विभागों, प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों एवं केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी क्रियान्वयन निकाय बनाया जा सकता है।

राज्य के ग्रामीण विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ छवि वाले गैर सरकारी संगठनों को नरेगा क्रियान्वयन एजेन्सी बनाने के लिए दिनांक 13.04.2010 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये थे तथा जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। आदिनांकित इन्हीं दिशा-निर्देशों की पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

गांवों में खेती और पशुधन विकास में पानी की कमी एक मुख्य बाधा है। प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की नरेगा के क्रियान्वयन में भागीदारी से जल संरक्षण व पुनर्भरण, जलग्रहण विकास व प्रबंधन, भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास एवं प्रबंधन, वन एवं वृक्षारोपण आदि के कार्यों में प्रतिष्ठित संगठनों की तकनीकी दक्षता और संसाधनों का उपयोग होगा, जिससे गांवों में पानी की समस्या कम हो सकती है एवं कृषि उत्पादकता तथा फसल एवं चारे के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा नरेगा के क्रियान्वयन में नए प्रयोग का लाभ सरकारी संस्थाओं को भी मिल सकेगा, जिससे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी और मजबूत होगी।

मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से मजदूरी रोजगार के अलावा ग्रामीण लोगों की आजीविका में सुधार आयेगा साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान नरेगा के क्रियान्वयन में अपने-अपने अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान कर इसकी बेहतर क्रियान्विति कर सकेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

शुभेच्छु

(तन्मय कुमार)

# अनुक्रमणिका


| क्रं. सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | एन.जी.ओ. को महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेंसी बनाने संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 13.04.2010 | 1 – 24 |
| 2. | Mitigating Poverty in Western Rajasthan (एमपावर) परियोजना के तहत चयनित एन.जी.ओ. के माध्यम से कार्य कराये जाने संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 13.10.2010 | 25 – 35 |

राजस्थान सरकार

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3)

क्रमांक–एफ1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/एनजीओ/2010 जयपुर, दिनांक: 13.4.2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

**विषय : एन.जी.ओ. को महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेंसी बनाने संबंधी दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा–2 (जी) एवं आपरेशनल गाईड लाईन, 2008 के पैरा–6.3.2 के अनुसार नरेगा कार्यों के कियान्वयन एजेंसी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिष्ठित, स्थापित साख, कार्य प्रदर्शन एवं रिकार्ड वाले अशासकीय संगठन (reputed N.G.O. of proven track record and performance) भी हो सकते हैं।

राज्य सरकार ने इस प्रकार के संगठनों के चयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इन निर्देशों के पैरा–9.2.2 में इन संगठनों के चयन हेतु मूल्यांकन अंकों का आधार भी श्रेणीबद्ध किया है। कृपया इन निर्देशों के आधार पर आप ठोस कार्य करने वाले योग्य अशासकीय संगठनों का चयन कर इन्हें नरेगा में कार्यकारी एजेंसी बनाने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें।

इन अशासकीय संगठनों द्वारा करवाये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में विचार उपरांत अनुमोदन करवाकर पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा भी संबंधित कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। इनके द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना का तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति को आप द्वारा गठित परियोजना प्रबन्धन समिति (project management committee) द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आपकी अध्यक्षता में गठित परियोजना प्रबन्धन समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अधिशासी अभियंता, (ईजीएस), संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

कार्यों हेतु नरेगा में पंजीकृत श्रमिकों से ही ग्राम पंचायत के मार्फत आवेदन पत्र प्राप्त कर नियोजित किया जायेगा। जिले में प्रचलित बी.एस.आर. के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के तकनीकी अभियंता द्वारा ग्राम पंचायत की माप पुस्तिका में किया जायेगा। श्रमिकों द्वारा संपादित एवं तकनीकी अभियंता द्वारा मूल्यांकित टास्क अनुसार अशासकीय संगठन द्वारा वेज सूची बनाकर एक प्रति ग्राम पंचायत को

भेजी जायेगी, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवार रोजगार रजिस्टर नरेगा संख्या–7 में अंकन किया जायेगा। कार्यकम अधिकारी द्वारा श्रमिकों को भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। कय की गई सामग्री के बिलों के भुगतान से पूर्व अशासकीय संगठन को संबंधित बिलों की कार्यकम अधिकारी के कार्यालय में ऑन लाईन एम.आई.एस. फीडिंग करवानी आवश्यक होगी। श्रम मद की राशि अशासकीय संगठन को सीधी नहीं दी जायेगी। अशासकीय संगठन को कार्य की वित्तीय स्वीकृति में सामग्री मद की 30 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम दी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत की माप पुस्तिका में मूल्यांकन के आधार पर इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद सामग्री मद की द्वितीय किश्त के रूप में 30 प्रतिशत राशि जारी की जायेगी। उक्त प्रकिया अपनाकर बाद मूंल्याकन व उपयोगिता प्रमाण पत्र तीसरी किश्त के रूप में 30 प्रतिशत सामग्री मद की राशि दी जायेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात ही कार्यकम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। अशासकीय संगठन को प्रशासनिक व्यय एवं ओवरहेड चार्जेज देय नहीं होंगे। इन कार्यों का भी प्रत्येक पखवाड़े में न्यूनतम एक बार नियमित निरीक्षण संबंधित तकनीकी अभियंता एवं कार्यकम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतः आप संलग्न निर्देशानुसार आपके जिले में कार्यरत योग्य एवं स्तरीय अशासकीय संगठनों के प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन इस विभाग को दिनांक 30.4.2010 तक भिजवायें।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्यक, चुरू को उनके भौरूका चैरिटेबल ट्रस्ट के संबंध में प्रेषित पत्र कमांक नरेगा/प्लान/2009–10/8317 दिनांक 15.1.2010 के क्रम में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यकम समन्वयक, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3)

कमांक:एफ–1(2)एनआरईजीएस/गाईडलाईन/एनजीओ/ जयपुर, दिनांक : 13.4.2010

## परिपत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा–2(6), 18 एवं 32 के कम में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं को भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **भूमिका :–**

विगत तीन दशकों में गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवा संस्थाओं का प्रादुर्भाव एवं सकिय सहयोग का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों जैसे योजना आयोग द्वारा भी सिविल सोसायटी संस्थानों की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के साथ जल संरक्षण, जल–संचय, वन, वृक्षारोपण, बागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई नहरों का विकास, सूक्ष्म व लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ नियत्रंण–संरक्षण जैसे कार्यों में जन भागीदारी में गैर सरकारी संगठन अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

भागीदारी की स्वस्थ परम्परा के लिये प्रतिष्ठित, स्थापित साख एवं कार्य प्रदर्शन करने वाले अशासकीय संगठनों (Reputed N G O of proven track record and performance) के चयन हेतु वस्तुपरक मापदण्ड, पारदर्शी प्रकिया, स्वच्छ एवं भागीदारी के सिद्धान्त पर आधारित दिशा–निर्देशों का होना आवश्यक है।

2. **उद्देश्य :–**

2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) से संबंधित गतिविधियों/परियोजनाओं में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं को भागीदार बनाना। यह दिशा–निर्देश समय समय पर भारत सरकार द्वारा योजना के लिये जारी विशिष्ट दिशा–निर्देशों के अध्यधीन होंगे।

2.2 विकास कार्यों की गतिविधियों में उत्तरोत्तर गुणवत्ता एवं नवाचार को बढ़ावा देना ।

2.3 विवादों के निराकरण के लिये स्वनिर्मित प्रावधान एवं व्यवस्थाओं का विकास करना ।

2.4 समुदाय को उत्तरदायित्व निर्वहन के लिये तैयार करना दूसरे शब्दों में गतिविधियों को तभी प्रारंभ करना जब समुदाय अपनी भूमिका को निभाने एवं उत्तरदायित्व निर्वहन के लिये तैयार हो।

2.5 राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व के साथ सहयोग को संस्थागत करना ।

**3. कार्यक्षेत्र :–**

निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन उनके अनुभव, विशिष्ठ दक्षता एवं पिछले अनुभव के आधार प्रभावी हो सकते हैं :–

3.1 ग्रामीण समुदाय में चेतना, कार्य दक्षता जाग्रत करते हुए जल संरक्षण, पुनर्भरण, सूखारोधी, वनरोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई, सिंचाई नहरें, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य, भू–जल का कृत्रिम पुनर्भरण, सिंचाई में जल वितरण से संबंधित सृजनात्मक/निर्माण/पुनर्निमाण/मरम्मत के कार्यों के लिये।

3.2 अनु. जाति/अनु. जनजाति/बीपीएल परिवारों एवं उनके उपरांत सीमांत एवं लघु किसान परिवारों की आजीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु उनकी स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं बागवानी, बागवान एवं भूमि सुधार व विकास के कार्य।

3.3 पारंम्परिक जल ग्रहण क्षेत्र तालाब, जलोत्थान, के आकल्प, निर्माण, गाद निकालना, शुद्धिकरण एवं प्रबन्ध के कार्य।

3.4 बाढ़ नियत्रंण एवं संरक्षण कार्य, जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास के कार्य।

3.5 सार्वजनिक भूमि का उक्त उद्देश्यों के मद्दे नजर विकास।

3.6 अन्य कार्य जिसे भारत सरकार द्वारा समय समय पर नरेगा अधिनियम में अधिसूचित किया गया हो।

**4. गैर सरकारी संगठन/स्वंय सेवी संस्थाओं के चयन का आधारः–**

4.1 पात्रता :–

4.1.1 गैर सरकारी संगठन/स्वंय सेवी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/ धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास अधिनियम 1920/भारतीय कम्पनी अधिनियम 1950 (भाग 25) के अन्तर्गत कम से कम पांच वर्ष पूर्व का पंजीयन होना चाहिए। कार्य केवल उपरोक्तानुसार पंजीकृत संगठन/संस्था को ही आवंटित किये जावेंगे।

4.1.2 संगठन/संस्था का आयकर अधिनियम में भी पंजीयन होा चाहिए तथा पैन नम्बर का उल्लेख करना चाहिए।

4.1.3 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफ. सी. आर. ए.) के अन्तर्गत भी पंजीयन आवश्यक है।

4.2 प्रबन्ध समिति व न्यासी बोर्ड :–

4.2.1 प्रबन्धन समिति तथा न्यासी बोर्ड द्वारा, संस्थान के नियमों के उपनियमों के अनुरूप ही कार्य किया जाना चाहिये तथा उसका उल्लघंन नहीं होना चाहिये। प्रबन्ध समिति की भूमिका व उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा नियमानुसार उसकी नियमित बैठकें होनी चाहिए।

4.2.2 प्रबन्धन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबन्ध समिति के सदस्यों का किसी आपराधिक मामले में दोष प्रमाणित नहीं होना चाहिए ।

4.2.3 संगठन की प्रबन्धन समिति/शासकीय बोर्ड में दो से अधिक निकट संबंधी (यथा पिता, माता, बच्चे, पत्नी, भाई, बहिन) नहीं होने चाहिए । बोर्ड में निकट संबंधियों की संख्या 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

4.2.4 संस्थान गैर राजनीतिक व धर्म निरपेक्ष होना चाहिए । इसे किसी विशेष जाति, पन्थ, धर्म से परे होना चाहिए।

4.3 **अपवर्जनाएँ:–**

निम्नलिखित संगठनों को कार्यकारी एजेंसी के रूप में अधिकृत नहीं किया जावेगा –

4.3.1 जिनका सोसायटी पंजीयन अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास अधिनियम 1920/सार्वजनिक न्यास अधिनियम/कम्पनी अधिनियम 1950 भाग 25 में पांच वर्ष पुराना पंजीयन ना हो। संगठन जिनका आवश्यक होने पर भी आयकर अधिनियम में पंजीयन ना हो। विदेशी सहायता प्राप्त परियाजना की स्थिति में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (एफ. सी. आर. ए.) के अन्तर्गत पंजीयन ना हो।

4.3.2 संगठन जो केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग/ऐजेन्सी की काली सूची में हो।

4.3.3 संगठन जिनके पदाधिकारी किसी आपराधिक मामले में दोष प्रमाणित हों।

4.3.4 संगठन जिनका कार्य निर्धारित समय सीमा के संबध में सन्तोषजनक ना हो तथा जिनकी साख कार्यक्षमता के संबध में असन्तोषप्रद हो।

4.3.5 संगठन/संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए।

4.4 गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली सूचनाएं :–

4.4.1 संविधान/मेमोरेन्डम ऑफ ऐसोसियेशन

4.4.2 वैधानिक स्थिति व सोसायटी पंजीयन अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यास अधिनियम 1920/कम्पनी अधिनियम 1950 का भाग 25 के अन्तर्गत पंजीयन के प्रमाणित पंजीयन पत्र/यदि आवश्यक हो तो आयकर अधिनियम व एफ. सी. आर. ए. के अन्तर्गत पंजीयन।

4.4.3 पदाधिकारी, न्यासी, शासकीय परिषद के सदस्यों के व्यवसाय व पते संगठन से जुडने की दिनांक तथा पदाधिकारियों, सदस्यों के साथ उनके पारिवारिक संबंध की सूची। दो से अधिक सदस्यों का आपस में पारिवारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए।

4.4.4 विगत 3 वर्षों के आडिटेड खाते।

4.4.5 सम्पत्ति व देनदारियों की चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट से प्रमाणित प्रति।

4.4.6 विगत 3 वर्षों की गतिविधियों, की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें जल क्षेत्र से संबंधित विशेष उल्लेख हों ।

4.4.7 स्टाफ की सूची, योग्यता, अनुभव, उन्हें आवंटित कार्यों के साथ ।

4.4.8 विशेषज्ञों की सूची जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव तथा उनके द्वारा किये गये पिछले कार्य का विवरण हो।

4.4.9 संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य, दृष्टि, लक्ष्य आदि।

4.4.10 पदाधिकारियों के विरूद्व आपराधिक मामलों में दोष प्रमाणित होने या न्यायालय में लम्बित मुकदमों की सूची (संगठन का अध्यक्ष, प्रधान, शासकीय निकाय सदस्य, कार्यकारी निकाय सदस्य देश के किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं होने चाहिए)

4.4.11 संगठन के अध्यक्ष, प्रधान, शासकीय निकाय के सदस्यों, कार्यकारी निकाय के विरूद्व न्यायालय में बकाया मुकदमों का विवरण।

4.4.12 वांछित श्रेणी – सामान्य या विशेषज्ञ।

4.4.13 संगठन या उसके मुख्य कार्यकारी के विरूद्व विगत में किसी सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के द्वारा काली सूची में डालने या कार्यवाही होने की सूचना।

4.4.14 पूर्व में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्रमाण पत्र विशेषकर तटस्थ संस्था द्वारा जारी हो।

4.4.15 संगठन यदि एफ. सी. आर. ए. के अन्तर्गत पंजीकृत है तो इसकी सूचना मय प्राप्त राशि व किये गये कार्यों के।

4.4.16 संगठन उनकी चालू गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करेगें।

**5. अनुभव :–**

5.1 परियोजना की क्रियान्विति:–

5.1.1 संगठन को पंजीयन के बाद संबधित गतिविधि का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5.1.2 संगठन में सहभागिता के आधार पर योजना बनाने व क्रियान्विति करने की योग्यता होनी चाहिए।

5.1.3. वे अपने कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे व सामाजिक समानता का ध्यान रखेगें।

5.2 वित्तीय स्थिति:–

संगठन की मजबूत वित्तीय स्थिति होनी चाहिए । संगठन द्वारा गत 3 वर्षों में आवंटित राशि का उपयोग व कार्यों को पूरा किया गया हो । गत 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 10 लाख रू. के कार्य किये गये हों । शिथिलता समिति परियोजना की लागत व क्रियान्वयन समय अनुसार इसमें उचित कमी कर सकती है।

5.3 अवस्थिति :–

5.3.1 संबंधित जिले में कार्य अनुभव वाले संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.3.2 संगठन का जिले में पृथक से कार्यशील कार्यालय होना चाहिए।

5.3.3 प्रदेश से बाहर के संगठनों पर पर्याप्त अनुभव व गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

**6. क्षमता :–**

6.1 जनशक्ति :–

6.1.1 प्रधान (मुख्य कार्यकारी सहित) :–

6.1.1.1 स्वंय सेवी संस्था में मुख्य कार्यकारी के अतिरिक्त कम से कम 2 नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए।

6.1.1.2 उसका मुख्य कार्यकारी/सचिव संस्था का पूर्णकालिक कर्मी होना चाहिए।

6.1.1.3 संस्था में महिला कार्यकर्ताओं का समुचित प्रतिनिधित्व वांछनीय है।

6.1.2 विस्तार :–

6.1.2.1 प्रशासनिक विभाग किसी विशेष परियोजना हेतु अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण कर सकता है।

6.1.2.2 गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था को इस सन्दर्भ में प्रस्तावित विस्तार का विवरण देना होगा।

6.2 संसाधनों की व्यवस्था :–

6.2.1 धन राशि की व्यवस्था।

6.2.1.1 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था में दानदाताओं, लाभान्वित व्यक्तियों या जन सहयोग से धनराशि की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।

6.2.1.2 संस्था द्वारा जनजातीय व गैर जन जातीय क्षेत्रों हेतु परियोजना लागत का कमशः 10 प्रतिशत व 20 प्रतिशत राशि की व्यवस्था समुदाय से अथवा स्वयं के श्रोतों से करने की अपेक्षा की जाती है। सामुदायिक सहयोग नकद अथवा श्रम या सामग्री के रूप में हो सकता है।

6.2.2 सामुदायिक चेतना और जन सहभागिता

संस्था द्वारा किसी गांव में किये गये कार्यों के मूल्यांकन में, निर्णय लेने की प्रकिया में समुदाय की भागीदारी का आंकलन किया जावेगा।

**6.3 भौतिक ढॉचा:–**

संस्था की मूल आधारभूत व्यवस्थायें यथा कार्यालय, फर्नीचर, उपकरण, औजार आदि स्थापित होनी चाहिए ।

**7. विश्वसनीयता :–**

7.1 कार्य मूल्यांकन :–

7.1.1 संस्था की अच्छी साख होनी चाहिए । इसके लिए पूर्व में निष्पादित कार्यों के मान्य प्रमाण–पत्र होने चाहिए।

7.1.2 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठन विगत तीन वर्षो में कपार्ट (सी.ए.पी.ए.आर.टी)/सी.एस.डब्ल्यू.बी./सरकार या अन्य दानदाता ऐजेन्सी की काली सूची में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

7.2 उत्तरदायित्वः–

7.2.1 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठन की लेखों के उचित संधारण की व्यवस्था एवम् जन शक्ति का उचित प्रबन्धन होना चाहिए।

7.2.2 संगठन की लेखों की नियमित जॉच की व्यवस्था होनी चाहिए।

7.3 मूल्यांकन, प्रभाव व निष्कर्ष :–

संगठन की कार्य प्रणाली का संगठन द्वारा पूरे किये गये कार्यो व परियोजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट से आंकलन किया जा सकता है।

8. **वर्गीकरण** :–

प्रशासनिक विभाग उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठनों का वर्गीकरण कर सकता है।

8.1 चयन हेतु श्रेणियॉः–

इच्छुक संगठनों को निम्नलिखत दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा –

8.1.1 सामान्य :

इस श्रेणी में केवल वे संगठन सम्मिलित है जिन्होंने जल, वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य किया है तथा जिन्हें जनजागृति उत्पन्न करके, जन सहभागिता से कार्य करवाने, विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनर्रूद्धार, जल का संरक्षण व पुनर्भरण, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास एवम् प्रबन्धन्, सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जल ग्रहण विकास व प्रबन्धन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, एकीकृत जल संसाधन (सतही एवम् भूजल) विकास, वृक्षारोपण एवं वनीकरण, उक्त उद्देश्यों हेतु सार्वजनिक भूमि विकास तथा योजना के परिचालन, अनुरक्षण व प्रबन्धन का सामुदायिक भागीदारी के साथ कार्य कराने का अनुभव हो।

8.1.2 विशेषज्ञ :–

इस श्रेणी में वे संगठन सम्मिलित हैं जिनके पास उच्च प्रशिक्षित एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा जिन्होनें जल सरंक्षण व संचय, वन, सघन वृक्षारोपण, बागवानी अथवा सिंचाई क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

9. **पंजीकरण की प्रकिया** :–

9.1 गैर सरकारी/स्वंय सेवी संगठनों के रोजगार गारंटी में कार्यक्रम कियान्वयन एजेंसी के रूप में राज्य स्तर से अधिकृत एवं पंजीकृत करने हेतु संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर द्वारा इच्छुकों का आमंत्रण खुले विज्ञापन द्वारा किया जावेगा।

9.1.1 पंजीकरण का इच्छुक गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठन अध्यक्ष, जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनुच्छेद 4.4 में दर्शाई सूचनाओं सहित आवेदन करेगें।

9.1.2 जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा इस परिपत्र में अंकित निर्देशानुसार परीक्षण कर उपयुक्त पाये गये आवेदनों को * **दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन गैर सरकारी /स्वयं सेवी संगठन के चयन एवं पंजीकरण का कार्य किया जायेगा :–**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
2. मंडल वन अधिकारी
3. कोषाधिकारी
4. अधीक्षण/अधिशाषी अभियंता, सिंचाई

*** जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक चयन एवं पंजीकरण के आदेश की सूचना मुख्यालय को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।**

9.1.3 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति के परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये गये आवेदनों का राज्य स्तर पर परीक्षण करने हेतु राज्य स्तरीय पंजीकरण समिति का गठन निम्न प्रकार होगाः–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस
4. शासन सचिव,ग्रामीण विकास विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस
6. जल संसाधन/वन प्रबन्धन विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

9.1.4 उक्त प्रकिया हेतु जिला/राज्य स्तरीय समिति छंटनीशुदा संभावित संगठनों (shortlisted potential organisations) के साथ बैठक का आयोजन कर सकती है।

9.2 जिला स्तर पर प्रारम्भिंक चयन :–

महात्मा गांधी नरेगा योजना में गैर सरकारी/स्वंय सेवी संगठनों से पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों की निम्नलिखित मूल्यांकन अंको के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जावेगा :–

---

* प्र0शा0सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि. के पत्र दिनांक 12.10.2010 द्वारा जारी संशोधन अनुसार।